बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSP(H)CL–02 / 2023– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– "मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना" के दूसरे चरण (फेज–2) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ–साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ (दो हजार एक सौ नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में **Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1** के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 96.7583 करोड़ (छियानवे करोड़ पचहत्तर लाख तेरासी हजार) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–4367 दिनांक–09.11.2023 द्वारा "मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना" के दूसरे चरण (फेज–2) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ–साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ रूपये का नयी योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 100.00 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 95.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यादेश द्वारा अबतक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 638.16 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 612.6421644 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा 130.00 करोड़ रूपये की मांग की गई है, जिसमें से CFMS में उपलब्ध आवंटन के आधार पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 96.7583 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1 के अंतर्गत स्वीकृत राशि 1320.00 करोड़ रूपये में से प्रथम किश्त के रूप में 871.20 करोड़ रूपये एवं द्वितीय किस्त के रूप में शेष राशि 448.80 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत यह योजना भी सम्मिलित है।

3. उक्त आलोक में "मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना" के दूसरे चरण (फेज–2) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ–साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ (दो हजार एक सौ नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में

से 96.7583 करोड़ (छियानवे करोड़ पचहत्तर लाख तेरासी हजार) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900107 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को Canara Bank, South Gandhi Maidan, Patna के खाता संख्या–0352101042058 एवं IFSC Code-CNRB0000352 में की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSP(H)CL–02/2023 के पृष्ठ संख्या–18/टि0 पर दिनांक–03.11.2023 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSP(H)CL–02/2023 के पृष्ठ संख्या–121/टि0 पर दिनांक–27.01.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSP(H)CL–02/2023– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSP(H)CL–02/2023– 469 /पटना, दिनांक– 30.01.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.01.26
सरकार के संयुक्त सचिव।